वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को सायं 4:00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	**श्री एस. के. शुक्ल**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	श्री श्रवण कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	श्री मदन राजा मौर्य	संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक कोषागार प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	श्री वी. पी. कौशल,	उप–कुलसचिव कृते कुलसचिव	सदस्य
5.	ले. कर्नल डा0 ए. के. मिश्र	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्री संजय श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2019 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यो हेतु खोले गये बैंक खातों की संख्या को न्यूनतम् रखे जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने यह सुझाव दिया कि अनुपयोगी खातों को बन्द कर उसमें उपलब्ध धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में संचालित खातों में रखे जाने हेतु विश्वविद्यालय स्वयं अपने स्तर पर निर्णय लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। वित्त समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि इस प्रकार प्राप्त धनराशियों को समुचित तरीके से लेखांकित किया जाए।

बिन्दु संख्या–03

पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेन्स लि0 में निवेशित धनराशि रू0 10.00 करोड़ को परिपक्वता तिथि से पूर्व आहरित कर राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेन्स लि0 में पूर्व में निवेशित धनराशि रू0 10.00 करोड़ को समय पूर्व आहरण के सम्बन्ध में इस बात पर सहमति बनी कि रिस्क को देखते हुए पी.एन.बी. हाउसिंग फाईनेन्स लि0 से धनराशि आहरित कर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में उपलब्ध अधिकतम् ब्याज दरों पर निवेशित कर दी जाए।

बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा निधि खाता संख्या 00600200000149 से कूटरचना करके रू0 1,39,78,067.00 मात्र के भुगतान तथा तदुपरान्त कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया। इस प्रकरण के सम्बन्ध में गठित जॉच समिति की अंतरिम रिपोर्ट को वित्त समिति के संज्ञानार्थ लाया गया, जिस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया। समिति ने लेखा–पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया।

6/12/19

बिन्दु संख्या–05

लखनऊ विश्वविद्यालय में शताब्दी वर्ष के आयोजन हेतु बजटीय व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के सक्षम विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने विश्वविद्यालय में शताब्दी वर्ष के आयोजन हेतु बजटीय व्यवस्था किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया तथा शताब्दी वर्ष में आयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 2020 तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 20 दिसम्बर, 2019 तक कार्य योजना एवं उस पर होने वाले अनुमानित व्यय तैयार करने के निर्देश दिये गये। शताब्दी वर्ष में होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में शताब्दी वर्ष के आयोजनों पर व्यय नाम से नया मद खोलते हुए रू0 20.00 लाख का ~~सांस्कृतिक~~ सांकेतिक बजट प्राविधान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की सहमति से।

अन्य बिन्दु संख्या–1

संकायाध्यक्ष, विधि विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव डा0 आर.यू. सिंह विधि पुस्तकालय में पुस्तकों को निर्गत करने के लिए रू0 100/–सदस्यता शुल्क के रूप में प्रति छात्र लिए जाने एवं पुस्तकालय का समय प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा डा0 आर. यू. सिंह विधि पुस्तकालय प्रातः 8:00 से रात्रि 8:00 बजे तक खोले जाने तथा इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु रू0 100/– प्रति छात्र/छात्राओं से सदस्यता शुल्क के रूप में लिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अन्य बिन्दु संख्या–2

प्रो0 आर. एस. गुप्ता, समन्वयक/प्रोफेसर इंचार्ज, इंजीनियरिंग संकाय के प्रस्ताव जिसमें इंजीनियरिंग स्ववित्त पोषित संकाय में गेस्ट प्रवक्ता के रूप में शिक्षकों से रू0 800/– प्रति व्याख्यान की दर से अथवा रू0 40,000/– अधिकतम् प्रतिमाह पर अध्यापन कार्य कराये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु संख्या–3

(क) केन्द्रीय लेखा कार्यालय के तात्कालिक प्रवृत्ति के रू0 20,000/– मात्र तक अनुषांगिक (कंटींजेंसी) व्ययों के स्वीकृति एवं सम्बन्धित देयकों के भुगतान हेतु वित्त अधिकारी को वित्तीय प्रतिनिधायन दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श रखा गया, जिस पर मा0 अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार का प्रतिनिधायन की सीमा मासिक रूप से अधिकतम्रू0 50,000/–किये जाने का प्रस्ताव किया। समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(ख) विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों/कार्यालयों के रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) मात्र तक के अनुषांगिक (कंटींजेंसी), यात्रा भत्ता तथा मूल्यांकन के बिलों के पारण हेतु उप कुलसचिव (लेखा)/लेखाधिकारी को प्राधिकृत किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु रखा गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्तुत प्रस्ताव के इतर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये, जिस पर समिति ने अपनी सहमति व्यक्त कीः–

1. लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में प्रवेश होने के अवसर पर ऐतिहासिक भवनों की मरम्मत न होने के कारण एवं दयनीय दशा को प्राप्त हो जाने के दृष्टिगत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अत्यंत अपवादिक मामलों को छोड़कर इस वित्तीय वर्ष में कोई नया निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया जाएगा, अपितु छात्रावासों, कक्षाओं, शैक्षणिक भवनों की मरम्मत कराकर भविष्य के लिए

उन्हें अनुरक्षित करने के साथ–साथ विद्यार्थियों की सुविधाओं के विस्तार को सुनिश्चित किया जाएगा।

2. लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई भी नया बैंक खाता वित्त समिति/कार्य–परिषद की अनुमति के बगैर न खोला जाए। विशेष परिस्थितियों में एक सप्ताह के भीतर वित्त समिति बुलाकर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(मदन राजा मौर्य)
संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक कोषागार,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

6/12/19
(ले. कर्नल डा0 ए. के. मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक

(वी. पी. कौशल)
उप–कुलसचिव
कृते कुलसचिव

(संजय श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी

(एस. के. शुक्ल)
कुलपति